न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः— ओम कसेरा , I.A.S.

प्रकरण संख्या —94/2013 (अपील)

कान्हा उर्फ काना आत्मज प्रताप जाति गुर्जर, निवासी ग्राम बोराबांस, तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

—अपीलाण्ट.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा कोटा

———रेस्पोडेन्ट.

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 29.12.2010 न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) लाडपुरा, जिला कोटा अन्तर्गत धारा 75 लै0 रे0 एक्ट

उपस्थिति

1. श्री विजय सिंघल, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक— 17.03.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम बोराबांस में गैर खातेदारी से खातेदारी के आदेश दिनांक 13.11.2010 को अपने आदेश कमांक/भू.अ./10/प्र.गां.सं.अ./7 दिनांक 29.12.2010 से पेराफेरी एरिया होने से खातेदारी आदेश दिनांक 13.11.2010 को विड्रो किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 01.01.2013 को पेश कर कथन किया है कि तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा नामान्तकरण सं0 224 दिनांक 10.12.2010 से आराजी ख0नं0 496/653 रकबा 0.25 हे0 वाके ग्राम बोराबांस पटवार क्षैत्र बोराबांस, भू0अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मण्डाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा को अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज की गई, जो नामान्तकरण न्यायालय तहसीलदार भू—अभिलेख लाडपुरा जिला कोटा के प्रकरण संख्या राजस्व/2010/21 दिनांक 13.11.2010 की अनुपालना में खोला गया । तहसीलदार भू अभिलेख तहसील लाडपुरा द्वारा उक्त नामान्तकरण सं0 224 दिनांक 10.12.2010 को अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, मनमाने तरीके से किसी अन्य खातेदार की गैर खातेदारी की आराजी में खातेदारी अधिकार दिये जाने से सम्बन्धित पत्रावली के आधार पर अपीलांट का उक्त नामान्तकरण निरस्त किये जाने के आदेश गलत तौर पर पारित किया गया है, जो कि विधि विरूद्व होने से काबिल निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम बोराबांस व आलनियां की आराजी को नायब तहसीलदार मण्डाना की रिपोर्ट के आधार पर पेराफेरी क्षैत्र में मानकर नामान्तकरण का आदेश विड्रो किये जाने के आदेश पारित किये है, जबकि अपीलांट की आराजी पेराफेरी क्षैत्र में नहीं आती है तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 13.11.2010 को पटवारी हल्का बोराबांस व

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

भू अभिलेख निरीक्षक मण्डाना की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे, जिसे स्वय अधीनस्थ न्यायालय को विद्रो करने व नामान्तकरण को निरस्त करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नही है और इस प्रकार दिया गया आदेश क्षेत्राधिकार से परे होने से आदेश जैर अपील काबिल निरस्तनीय है । गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार के आदेश के अन्तर्गत खोले गये नामान्तकरण को निरस्त करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है और यदि तहसीलदार भू अभिलेख तहसील लाडपुरा को उक्त आदेश मे किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगत भी होती है तो उसे सक्षम न्यायालय में लैण्ड होल्डर की हैसियत से चुनौती दी जा सकती है परन्तु स्वविवेक से पारित आदेश को विद्रो या निरस्त उसी न्यायालय द्वारा नही किया जा सकता है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश प्रारंभ से अवैध व प्रभावशून्य होने के कारण काबिल निरस्तनीय है । उक्त आदेश जेर अपील की अपीलांट को सुनवाई व अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना दिनांक 29.12.2010 को पारित किया गया, इस कारण से अपीलांट को आदेश जैर अपील की कभी कोई जानकारी नही हुई तथा उक्त आदेश के सम्बन्ध में सर्व प्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा बताने पर दिनांक 28.12.2012 को हुई, और जिस पर आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु उसी दिन अदालत मातहत में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की , नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील पेश की जा रही है । जो जानकारी की तिथि 28.12.2012 से अवधि मध्य स्वीकार योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 29.12.2010 निरस्त फरमाया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया । वकील अपीलांट व पेरोकार सरकार उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराया और कथन किया कि तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा द्वारा नामान्तकरण सं0 224 दिनांक 10.12.2010 से आराजी ख0नं0 496/653 रकबा 0.25 हे0 वाके ग्राम बोराबांस पटवार क्षैत्र बोराबांस, भू0अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र मण्डाना, तहसील लाडपुरा जिला कोटा को अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज की गई, जो नामान्तकरण न्यायालय तहसीलदार भू–अभिलेख लाडपुरा जिला कोटा के प्रकरण संख्या राजस्व/2010/21/ दिनांक 13.11.2010 की अनुपालना में खोला गया । तहसीलदार भू अभिलेख तहसील लाडपुरा द्वारा उक्त नामान्तकरण सं0 224 दिनांक 10.12.2010 को अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, मनमाने तरीके से किसी अन्य खातेदार की गैर खातेदारी की आराजी में खातेदारी अधिकार दिये जाने से सम्बन्धित पत्रावली के आधार पर अपीलांट का उक्त नामान्तकरण निरस्त किये जाने के आदेश गलत तौर पर पारित किया गया है, जो कि विधि विरूद्व होने से काबिल निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम बोराबांस व आलनियां की आराजी को नायब तहसीलदार मण्डाना की रिपोर्ट के आधार पर पेराफेरी क्षैत्र में मानकर नामान्तकरण का आदेश विद्रो किये जाने के आदेश पारित किये है, जबकि अपीलांट की आराजी पेराफेरी क्षैत्र में नहीं आती है तथा तहसीलदार लाडपुरा द्वारा दिनांक 13.11.2010 को पटवारी हल्का बोराबांस व भू अभिलेख निरीक्षक मण्डाना की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

किये गये थे, जिसे स्वयं अधीनस्थ न्यायालय को विड्रो करने व नामान्तकरण को निरस्त करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को प्राप्त नहीं है, और इस प्रकार दिया गया आदेश क्षैत्राधिकार से परे होने से आदेश जैर अपील काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 29.12.2010 निरस्त फरमाया जावें ।

5. हमने वकील अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम बोराबांस में गैर खातेदारी से खातेदारी के आदेश दिनांक 13.11.2010 को अपने आदेश कमांक/भू.अ./10/प्र.गां.सं. अ./7 दिनांक 29.12.2010 से विड्रो किये जाने से दिनांक 1.1.2013 को पेश की गई है, विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध में लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश कर जैर अपील आदेश की प्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा बताने पर दिनांक 28.12.2012 को होना बताया है , यह अपील विलम्ब से पेश करने के सम्बन्ध में उचित कारण नहीं बताया है, फिर भी न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को न्यायहित में माफ किया जाता है । प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है ।

6. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश कमांक/राजस्व/2010/21 दिनांक 13.11.2010 से ग्राम बोराबांस स्थित ख0नं0 496/613 रकबा 0.25 हे. भूमि गैर खातेदार श्री कान्हा पुत्र प्रताप गुर्जर के नाम खातेदारी अधिकार प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प बोराबांस में जारी किये गये थे, चूंकि अभियान के दौरान जल्दबाजी में उक्त ग्राम बोराबांस पेराफेरी एरिया में होने की जानकारी नहीं होने से बाद में उक्त भूमि पेराफेरी में होने की जानकारी होने पर उक्त आदेश दिनांक 13.11.2010 को अपने आदेश कमांक/भू.अ./10/प्र.गां.सं.अ. /7 दिनांक 29.12.2010 से विड्रो किया गया है । वकील अपीलांट द्वारा अपील स्वीकार करने के पर्याप्त आधार पेश नहीं किये है जिससे अपील स्वीकार की जा सकें । ऐसी स्थिति में अपील अस्वीकार योग्य पाते है ।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार प्रस्तुत नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 29.12.2010 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner